

भारतीय राजनीति की दिशा और दशा

सन् सैंतालीस से ही भारत की राजनीति एक स्पष्ट दिशा में चल रही थी और वह थी वामपंथी अर्थनीति तथा वर्ग विद्वेष प्रोत्साहन की राजनीति। लोकतंत्र में वामपंथी अर्थनीति का मतलब होता है लोकहित की अपेक्षा लोकप्रियता का अधिक ध्यान रखना। इसके लिये विशेष ख्याल रखा जाता है कि जो वस्तु गरीब लोग ज्यादा उपयोग करें उन पर अप्रत्यक्ष कर तथा प्रत्यक्ष छूट दी जाय। इसके ठीक विपरीत जो वस्तु अमीर लोग ज्यादा उपयोग करें उन पर प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष छूट दी जाय। इस नीति का अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है कि गरीब न कभी गरीबी से बाहर निकल पाता है न ही सरकार के अहसान से उबर पाता है। वामपंथी राजनीति का मतलब होता है समाज को अनेक आधारों पर बॉटकर वर्ग विद्वेष फैलाना तथा उसका विस्तार करते करते वर्ग संघर्ष तक ले जाना। सरसठ वर्षों से भारत सफलता पूर्वक इस दिशा में बढ़ता रहा। एक बार जब भारत विश्व आर्थिक मंच पर दीवालिया होने तक पहुँच गया तो थोड़े समय के लिये नरसिंह राव के समय तथा उसके कुछ वर्ष बाद अटल जी के समय भारत की अर्थनीति में आंशिक बदलाव आया, किन्तु शीघ्र ही पुनः मनमोहन सिंह को कठपुतली प्रधानमंत्री बनाकर पुनः उसी अर्थनीति की ओर बढ़ाया गया। अर्थनीति में चाहे बीच बीच में जो भी बदलाव आये हों किन्तु राजनीति में कभी कोई बदलाव नहीं आया अर्थात् अटल जी के समय भी नहीं और कठपुतली मनमोहन सिंह के समय भी नहीं। सभी आठ आधारों पर सभी राजनैतिक दल पूरी इमानदारी से वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष की दिशा में बढ़ते रहे तथा इन आठ आधारों में से भी साम्प्रदायिक विद्वेष को सर्वाधिक महत्व दिया गया। साम्प्रदायिकता के विस्तार के लिये आवश्यक है कि समाज को अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक में बॉटकर दो समुहों में ध्रुवीकरण किया जाय। आप सब जानते हैं कि मोदी के पूर्व तक भारत अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की दिशा में आँख मूंद कर चलता रहा।

वामपंथी अर्थनीति को यदि तानाशाही का सम्बल मिले तो भ्रष्टाचार शून्यवत होता है किन्तु यदि वामपंथी अर्थनीति तथा लोकतंत्र जुड़ते हैं तो भ्रष्टाचार असीमित होता है। भारत में वामपंथी अर्थनीति तथा लोकतंत्र साथ जुड़े जिसका परिणाम हुआ असीमित भ्रष्टाचार। जब समाज में भ्रष्टाचार करने वाला भी भ्रष्ट हो तथा उसे रोकने वाला भी तो आप आर्थिक नीति में बदलाव लाये बिना भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते किन्तु भ्रष्टाचार रोकने के ऐसे नाटक बीच बीच में किये जाते रहे जिनका परिणाम शून्यवत् होना था और हुआ भी। दूसरी ओर राजनैतिक मोर्चे पर भी परिवारवाद बढ़ता गया आर इस सीमा तक बढ़ा कि भारत की सम्पूर्ण राजनीति केवल कुछ परिवारों तक आकर सिमट गई और वह भी प्रदेशों में भले ही अलग अलग परिवारों के बीच सत्ता का विभाजन हुआ हो किन्तु केन्द्र में तो सत्ता एक ही परिवार तक सिमटी रही।

सारी स्थितियों से निराश होकर श्री अन्ना हजारे ने व्यवस्था परिवर्तन का बीड़ा उठाया था किन्तु वे व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में स्वयं को अकेला पाकर टीम अरविंद या किरण वेदी आदि के साथ समझौता करने को मजबूर हो गये। स्पष्ट था कि अन्ना हजारे अकेले ही थे जो व्यवस्था में बदलाव चाहते थे अन्यथा उनके सभी साथी तो व्यवस्था में सुधार तक ही सीमित रहे। फिर भी भले ही व्यवस्था परिवर्तन न हो किन्तु यदि उसे खान्दानी राजनीति से मुक्ति तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण के आंशिक अवसर भी नीतिश कुमार, अरविन्द केजरीवाल, नरेन्द्र मोदी में दिखे तो भारत की जनता यथा संभव इस दिशा में झुकती चली गई। पिछले कई वर्ष पूर्व से स्पष्ट दिख रहा था कि भारत का अगला प्रधानमंत्री नीतिश कुमार, अरविन्द केजरीवाल तथा नरेन्द्र मोदी में से ही कोई एक होगा तथा इन तीन से बाहर चौथे की तो कोई संभावना ही नहीं थी किन्तु नरेन्द्र मोदी को संघ परिवार का साथ मिलने से उनकी हवा तूफान में बदल गई। स्पष्ट था कि उस तूफान में अरविन्द दिल्ली और नीतिश विहार में भी पिछड़ गये। इसका यह अर्थ कदापि नहीं था कि अरविन्द केजरीवाल तथा नीतिश कुमार की लोकप्रियता में कोई कमी आई हो यद्यपि लोकसभा के मादो तूफान के समक्ष वे दोनों अल्प समय के लिये नहीं टिक सके। यही कारण था कि तूफान निकलते ही दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल फिर से स्थापित हो गये तथा विहार में नीतिश कुमार दिल्ली की पुनरावृत्ति कर सकते हैं।

नरेन्द्र मोदी ने बहुत तेज गति से अनेक कार्य किये। सरसठ वर्षों से भाषा की नीति को एकदम से बदल दिया गया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के आखिरी दिनों में भारत की अर्थ व्यवस्था खतरे के बिन्दु को छू रही थी। विकास दर लगातार गिर रही थी। विदेशी निवेश लगातार घट रहा था। नरेन्द्र मोदी के आने के बाद विदेशी निवेश भी तेज गति से बढ़ा है तथा विकास दर की भी अच्छी संभावनाएँ बनी हैं। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। सीमाओं पर विदेशी उछलकूद भी कम हुई है। नक्सलवाद भी अपना अंतिम सांस गिन रहा है। यहां तक कि व्यावसायिक पर्यावरण वादी या मानवाधिकार वादियों का भी महत्व घटा है। मुझे तो नहीं लगा कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसी भी मामले में कमजोर पड़ी हो। नरेन्द्रमोदी की अग्नि परीक्षा साम्प्रदायिकता के मुद्दे पर थी। भय था कि मोदी स्वयं अथवा संघ परिवार के दबाव में बहुसंख्यक तुष्टीकरण की लाइन पर चल सकते हैं। किन्तु नरेन्द्र मोदी ने संघ परिवार की नाराजगी मोल लेते हुए भी धर्म निरपेक्षता की लाइन नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि संघ के सर्वोच्च मोहन भागवत भी मोदी पर दबाव बनाने के लिये सशरीर मैदान में कूद पड़े किन्तु मोदी किसी भी दबाव के समक्ष झुके नहीं। इसके विपरीत धीरे-धीरे मोहन भागवत की ही जंग हंसाई हो रही है। स्पष्ट है कि नरेन्द्र मोदी हर मोर्चे पर सफलता के नये-नये झण्डे गाड़ते जा रहे हैं।

इसका यह अर्थ नहीं कि नरेन्द्र मोदी निष्कंटक हो गये हैं। जो विपक्ष लोकसभा चुनावों में विभाजित था वह एकजुट हो गया है। उस समय विपक्ष के पास कांग्रेस, समाजवादी, लालूप्रसाद,ममता बनर्जी सरीखा बदनाम नेतृत्व था किन्तु अब उसके समक्ष अरविन्द केजरीवाल,नीतिश कुमार सरीखा चरित्रवान नेतृत्व है। उस समय अनेक अल्पसंख्यक

परिस्थिति अनुसार नरेन्द्र मोदी की तरफ देखने की तैयारी कर रहे थे किन्तु अब भागवत जी के चेलों ने अण्ट शण्ट बोलकर उन सबको मोदी से दूर कर दिया है। दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल की जीत ने भागते हुए विपक्ष के पलायन को फिर से रोक दिया है।

स्पष्ट है कि न भाषा या साम्प्रदायिता को आधार बनाकर मोदी को चुनौती दी जा सकती है न विदेश नीति अथवा व्यक्ति केन्द्रित सत्ता के नाम पर, क्योंकि व्यक्ति केन्द्रित सत्ता का जो आरोप मोदी पर लग सकता है, लगभग वही हाल अरविन्द केजरीवाल या नीतिश कुमार का भी है। ऐसी हालत में मोदी को चुनौती देने के लिये गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई को ही आधार बनाना संभव है। सरसठ वर्षों से समाजवाद के नाम पर गरीबी का ही बंटवारा करने की अर्थनीति रही है। पहली बार भारत समाजवादी अर्थ व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से लात मारकर पूँजीवाद की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू किया है। नरेन्द्र मोदी ने यह मान लिया है कि आर्थिक मामलों में हमें भिखारी के रूप में न रहकर प्रतिस्पर्धी के रूप में सामने आना है। स्पष्ट है कि समाजवाद में गरीबों का जीवन स्तर चींटी की चाल से तथा अमीरों का बैलगाड़ी की रफ्तार से बढ़ता है जबकि पूँजीवाद में गरीबों का बैलगाड़ी तथा अमीरों का हवाई जहाज की रफ्तार से बढ़ता है। समाजवाद की अपेक्षा पूँजीवाद में गरीबों का जीवन स्तर अधिक तेज गति से सुधरता है किन्तु पूँजीवाद में आर्थिक असमानता समाजवाद की अपेक्षा अधिक तेज गति से बढ़ती है। यह आर्थिक असमानता की तेज गति ही गरीब और अमीर के बीच सदभाव बिगाड़ने में काम आती है और इसी शस्त्र का उपयोग हमेशा वामपंथी करते रहते हैं। वर्तमान समय में मृतप्राय वामपंथियों को यही शस्त्र जिन्दा करने का काम कर रहा है।

वर्तमान समय में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ने मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने का अवसर दे दिया है। यहाँ तक कि संघ परिवार तथा शिवसेना भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिये मैदान में कूद पड़े हैं। जिन लोगों ने कभी किसानों की चिन्ता नहीं की वे सब किसानों के पक्ष में आँसू बहा रहे हैं। मुझे किसानों का दर्द पता है क्योंकि मैं स्वयं एक किसान रहा हूँ। खेती में मैं हमेशा घाटे में रहा तथा अपने बच्चों को यही सलाह दिया कि खेती करने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार की नीतियाँ उपभोक्ताओं के पक्ष में झुकी हुई हैं। कृषि भूमि रखने वाला यदि अधिक सुखी होता तो यह स्पष्ट करना होगा कि आत्महत्या कर चुके या कर रहे किसानों में से कितने भूमि हीन थे। मेरे विचार में एक भी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि किसानों की खुशहाली का आधार भूमि की अधिकता नहीं है बल्कि भूमि से होने वाले उत्पादन की मात्रा तथा उससे प्राप्त मूल्य है। इसके विपरीत जो भूमि हीन हैं वे तो कहीं भी जाकर अच्छी मजदूरी कर लेते हैं किन्तु भूमि वाला किसान कहाँ जाय, क्या करे? मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि आदिवासी बड़ी जमीन रहते हुए भी गरीबी में जीवन जीने को मजबूर हैं क्योंकि पैदा कुछ होता नहीं और जमीन बेचने पर सरकार ने रोक लगा रखी है। हमारे शहर के आसपास चारों ओर नब्बे प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है। सबक पास जमीन है। जिनके बच्चे सरकारी नौकरी करने लगे उनको छोड़कर एक भी आदिवासी आगे नहीं बढ़ पाया। नौकरी में सुख और खेती में दुख। नौकरी में छुट और जमीन बेचने पर रोक। भारत में दालें और खाद्यतेल का उत्पादन कम है। भारत आज तक इनका आयात करता है। यदि भारत के आदिवासियों या गरीबों की जमीन दूसरों के पास जाकर दालतेल पर भारत को आत्मनिर्भर कर दे तो इसमें गलत क्या है।

मैं यह भी नहीं समझा सका कि जमीन उद्योगपति के हाथ में जाकर कई गुना अधिक उत्पादन कर सकती है किन्तु सरकारी नीति के अनुसार वह इसलिये पड़ती रहे या औपचारिक रूप से मामूली खेती करे क्योंकि हम उद्योगपतियों को लाभ क्यों उठाने दे? यह ठीक नहीं। भारत सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह विश्व व्यवस्था के अन्तर्गत है जहाँ उसे दुनिया से प्रति स्पर्धा भी करनी पड़ती है। खेती को परम्परागत जीवन यापन का साधन न मानकर उसे लाभदायक व्यवसाय बनने दीजिये। खेती को प्रतिस्पर्धा में आने दीजिये। इससे हो सकता है कि किसान और उपभोक्ता के बीच विवाद खड़ा करने का आपका शस्त्र मोथरा हो जाय किन्तु इससे देश का भी भला होगा और समाज का भी। भूमि का सर्किल रेट से चार मूल्य ज्यादा है। मुझे तो लगता है कि इससे कम कोमत पर ही किसान जमीन देने को तैयार हो जायगा। एक बार करके तो देखिये। यदि आप समझते हैं कि जमीन बेचकर किसान फिर से भूखा मरने लगेगा तो आप जमीन से प्राप्त पैसा अपने खजाने में रखकर किसान को मात्र व्याज जीवन भर देते रहिये। कोई न कोई तरीका निकल सकता है यदि आपकी नीयत किसान गैर किसान को लडा भिडाकर रोटी सँकने की न हो तब। मुझे तो लगता है कि भूमि अधिग्रहण के लिये पचास प्रतिशत की सहमति का भी प्रावधान हो तो दिक्कत नहीं।

मैं देख रहा हूँ कि मोदी के विरुद्ध अरविन्द केजरीवाल, नीतिश कुमार के इर्द गिर्द सारे विपक्षी इकट्ठे हो रहे हैं। राजनैतिक कारणों से घिसे पिटे लोगों को उम्मीद की एक किरण दिखने लगी है। साम्प्रदायिक तत्व भी फिर से उम्मीद बाँधने लगे हैं। कहीं ऐसा न हो जावे कि फिर से वामपंथ का भूत कब्र से निकल जावे। कहीं ऐसा न हो कि भारत का आर्थिक विकास किसी संकट में फंस जावे। कहीं ऐसा न हो कि नरेन्द्र मोदी जिस संघ परिवार से बच कर चल रहे हैं वे फिर से संघ परिवार की गोद में बैठने को मजबूर हो जावें। मुझे विश्वास है कि अरविन्द केजरीवाल तथा नीतिश कुमार इस मामले में अवश्य सतर्क होंगे किन्तु यदि कही भूल हुई तो हम आप सबका कर्तव्य है कि हम इसमें उन्हें सतर्क करते रहें। वर्तमान भारत की राजनीति जिन नरेन्द्र मोदी, अरविन्द केजरीवाल, नीतिश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है ऐसा अवसर पहली बार आया है और हम इस अवसर का भरपूर उपयोग करें यही ठीक होगा। क्योंकि इन तीन को छोड़कर अन्य स्वार्थी तत्व मुह बाये प्रतीक्षा कर रहे हैं। नरेन्द्र मोदी तथा नीतिश कुमार की नीयत भी प्रमाणित है और क्षमता भी जबकि अरविन्द केजरीवाल की योग्यता और क्षमता तो इन दोनों से ज्यादा है किन्तु अभी नीयत प्रमाणित नहीं। जिस तरह उन्होंने अन्ना को छोड़ा तथा अब योगेन्द्र यादव प्रशान्त भूषण को भी छोड़ रहे हैं तो उनकी नीयत पर आंशिक

सन्देह स्वाभाविक है। फिर भी मुलायम मायावती, लालु, जय ललिता, ममता बनर्जी आदि से अरविन्द की तुलना नहीं हो सकती।

आदर्श राज्य कभी समाज को वर्ग के आधार पर नहीं बँटता। उसके समक्ष सिर्फ दो वर्ग होते हैं (1) शरीफ (2) बदमाश। बदमाशों से शरीफों की सुरक्षा राज्य का दायित्व होता है। यदि समाज में आर्थिक विषमता सीमा से अधिक बढ़ी हो तो राज्य का कर्तव्य है कि वह समाज को सक्षम और अक्षम में कुछ समय के लिये बँटकर आर्थिक अक्षमों की सहायता करें। शरीफों की सुरक्षा प्रत्यक्ष तथा अक्षमों की सहायता अप्रत्यक्ष की जाती है। किसान मजदूर, उत्पादक, उपभोक्ता का विभाजन हमेशा घातक होता है क्योंकि न सभी किसान अक्षम होते हैं न सभी सक्षम। इसी तरह न सभी किसान अच्छे होते हैं न सभी बुरे। अक्षम तथा अच्छे लोगों के नाम पर सक्षम और बुरे लोग हमेशा राज्य सहायता का दुरुपयोग करते हैं। यही पहले से होता आया है तथा आज भी हो रहा है। अच्छा हो कि नरेन्द्र मोदी के समय इसमें बदलाव का अवसर है। हम ऐसे अवसर को हाथ से न जाने दें।

(1) श्री इन्द्रदेव गुलाटी, वीर सावरकर पुस्तकालय, बुलन्दशहर, यूपी, ज्ञानतत्व 8407

प्रश्न:—आपका पत्र मिला। आपका उद्देश्य ही समझ में नहीं आया है। यदि आप नेहरु गॉंधी के समर्थक हैं तो हमें पत्रिका भेजनी बन्द कर दें। गॉंधी नेहरु ने गुप्त रूप से मन ही मन में निश्चय कर लिया था कि खंडित भारत में मुस्लिम भी रखे जायेंगे जबकि मुस्लिम आक्रामक, क्रूर, संगठित, अर्द्धसैनिकवादी और विस्तारवादी मनोवृत्ति का था और अब भी है।

उत्तर:—आपने आक्रामक, क्रूर, संगठित, सैनिकवादी तथा विस्तारवादी होने वाले व्यक्ति को मुसलमान माना है तो आप कृपा करके बताइये कि वीर सावरकर अथवा नाथूराम गोडसे में ऐसा कौन सा लक्षण था जिसके आधार पर उन्हें हिन्दू कहें। यदि हम स्वतंत्र भारत में गॉंधी या नेहरु का समर्थन न करें तो क्या गोडसे अथवा सावरकर का समर्थन करें। स्वतंत्रता के पूर्व वीर सावरकर की नीयत ठीक थी, मार्ग गलत। स्वतंत्रता के बाद गोडसे ने जिस विचारधारा से प्रभावित होकर ऐसा जघन्य अपराध किया वह विचारधारा हिन्दुत्व के सभी गुणों के विपरीत थी। मेरी जानकारी के अनुसार वीर सावरकर ऐसी हिन्दुत्व विरोधी विचारधारा के प्रचारक थे जिससे गोडसे प्रभावित हुआ। वीर सावरकर गॉंधी हत्या के आरोप से निर्दोष सिद्ध होकर नहीं छूटे हैं बल्कि अपराध पूरी तरह सिद्ध न होने के कारण छूटे हैं जिस आधार पर संसद पर आक्रमण केस से प्रोफेसर गीलानी छूट गये। निर्दोष प्रमाणित होने तथा संदेह के आधार पर दोष अप्रमाणित होने में बहुत अन्तर होता है।

स्वतंत्रता के पूर्व की वीर सावरकर के त्याग की प्रशंसा होनी चाहिये किन्तु स्वतंत्रता के बाद भी वीर सावरकर के नाम पर दुकानदारी चलाने वालों की तो आलोचना होगी ही। मैं आपस सहमत हूँ कि मुसलमान आमतौर पर प्रारंभ में ही हिंसा का प्रयोग करते हैं। मेरे विचार में कट्टरवादी हिन्दू भी वैसा ही करते हैं। मैं उग्रवादी मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा का समर्थन करने वाले हिन्दुओं के उग्रवाद का समर्थक हूँ किन्तु शान्तिप्रिय मुसलमानों के विरुद्ध घृणा या आक्रामक भाषा का उपयोग करने वालों के विरुद्ध हूँ। मैं गॉंधी का समर्थक हूँ और आप अपने आप को सावरकर वादी कहते हैं। आज न गॉंधी जीवित हैं न सावरकर या गोडसे। मैं गॉंधी की विचारधारा का पोषक जीवित हूँ किन्तु आपने तो आज तक कोई गोडसे नहीं बनाया जो वर्तमान में आपके सावरकरवादी होने को प्रमाणित करें। मुझे शान्तिप्रिय हिन्दू होने पर गर्व है। शान्तिप्रिय मुसलमान भी मेरी नजर में मेरे समान ही हैं। यदि इस हिन्दुत्व की अवधारणा के विरुद्ध कोई कष्ट होता है तो मुझे कोई पश्चाताप नहीं होगा।

मैं समझता हूँ कि आप ज्ञानतत्व अवश्य पढ़ते हैं। जब तक आप ज्ञानतत्व पढ़ते रहेंगे तब तक ज्ञानतत्व आपको जाता रहेगा चाहे आप उसे बंद करने का आग्रह क्यों न करें। मुझे विश्वास है कि भले ही गॉंधी गोडसे या सावरकर को शान्ति का महत्व समझाने में असफल हुए हों। किन्तु मुझे विश्वास है कि मैं सावरकर गोडसे समर्थको को समझाने में सफल होऊँगा।

(2) एम.ए.पी.एच.डी.सत्यशीलम् प्रेस,सागर,मध्यप्रदेश,ज्ञानतत्व 44250

प्रश्न:—पत्र मिला। यह उचित हुआ, सागर के जिन मित्रों की सूची संख्या 16 आपने भेजी है, उन्हें निष्क्रियता के कारण ज्ञानतत्व भेजना बंद कर दिया गया। यह नियम उचित लगे तो कृपया केवल 2 अंक अवलोकनार्थ भिजवाएँ। आगे तभी जारी रखें जब आदेश प्राप्त हो, इसी आशय की विज्ञप्ति ज्ञानतत्व में प्रकाशित करवा दीजिए। खेद है, शरीर के असहयोग ने आपसे जुड़े रहकर कार्य करने से प्रतिबंधित कर रखा है। मेरे संबंधी आ.डॉ.जी.पी.गुप्ता जी के सागर में रहते हुए भी ग्रामस्वराज मंच के लिए कुछ न कर पाना अच्छा नहीं लगता। कैसा विधान नियत है?

उत्तर:—आपने 2 अंक अवलोकनार्थ भेजने का सुझाव दिया। मेरे विचार में यह ठीक नहीं। इसलिए हम प्रारंभ में पच्चीस अंक भेजने के बाद ही उनकी प्राप्ति या सहमति-असहमति की अपेक्षा करते हैं। फिर भी यदि तीन बार पत्र भेजने के बाद भी दूसरी तरफ से उत्तर नहीं आता है तो हम विश्वास कर लेते हैं कि या तो उन्हें ज्ञानतत्व मिलता नहीं है या पढ़ते नहीं है या ना पसंद है। उसके बाद भी हम उनका नाम भेजने वाले प्रस्तावक को सूचित करते हैं उसके बाद नाम काट

देते हैं। आप शारिरिक रूप से भले ही हमारे सहयोगी न हो किन्तु मानसिक रूप से तो आप निरंतर हमारे साथ हैं। आपने जो असमर्थता व्यक्त की है वह सिर्फ आप ही की मजबूरी नहीं है। सम्भवतः कुछ वर्षों बाद मेरी भी वैसी ही मजबूरी हो सकती है।

(3)सेवक दयापति, ऋषिधाम, बदायूँ, युपी, ज्ञानतत्व 6731

प्रश्न:— आपकी गतिविधियों का दिग्दर्शन आपके ज्ञानतत्व पाक्षिक पत्र से मिलता रहा है। आपका सतत प्रयास सफलता की ओर अग्रसर रहे। भारत में आज भार तल है सर्वत्र भयावह वातावरण, आतंक ही आतंक सुनाई व दिखाई दे रहा है। राजकाज हथियाने वाले सभी पार्टीवाज हैं जिन्हें अपनी पार्टी की शान बचानी दूँभर हो रही है। प्रलोभन ही प्रलोभन! आखिर कब तक, ऐसा चलेगा? साधारण जन मानस तो रोजी रोटी का शिकार, केवल पैसा पैदा करना हो अंतिम उद्देश्य मान लेते हैं विद्याविहीन पशु कहलाता हैं। शिक्षा कैसी है? कैसे है हमारे शिक्षक बन्धु, गुरुजन और अतिथिगण? गृहस्थ तो सभी ग्रहस्त हो गये हैं। आप जैसे हर परिवार से विरक्त होकर कार्यकर्ता बनें तो हर गाँव से 1 हजार व्यक्ति राष्ट्ररक्षा के लिए प्रयत्न शील हो। हर जिला से लाखों की संख्या में धर्म मर्यादा के लिए तत्पर हो जावें। फिर देखें कौन सा कर्मचारी, कौन सा प्रशासक, कौन सा शासन और कौन शासक ठीक से काम न करें। हमें तो खाज ही पसंद है, खुजलाना ही अच्छा लगता है। तोता रटन्त से काम नहीं चलता। वतमान तो भष्टता के चंगुल में फंसा ही है भावी भविष्य और भी अन्धकार में चला जा रहा है। बिना समर्पित तपस्वी, साधकों के समाज व राष्ट्र का कार्य होने वाला नहीं। आपके पास कितना आत्मबल, कितना सामाजिक बल, कितना और कौन सा सामर्थ्य है जिससे अत्याचारी भ्रष्टाचारी अन्यायी अधार्मिक षडयंत्रों का पुरजोर दमन शमन किया जा सके। एक देश, एक राष्ट्र, एक जनजीवन, एक मानवता, एक रीतिरिवाज, एक जैसा ही मान अपमान, एक जैसा ही सुख-दुख, एक नियम, एक पद्धति, एक रीतिरिवाज पुरातन आर्यावर्त के चरम लक्ष्य मोक्ष मार्गी बनने का उत्साह, भारत में कब आयेगा कब किधर से कहाँ को कम्बख्त भागेगा कुशासन।

उत्तर:—आपने भारत का जो निराशाजनक चित्र खोंचा है वास्तविकता उतनी गम्भीर निराशाजनक नहीं है। नरेन्द्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, नोतिश कुमार जैसों का उत्थान यह सिद्ध करता है कि भारत अनेक प्रकार की बमारियों से निकलकर ठीक दिशा में जा सकता है, जा रहा है। देश तो निश्चित रूप से ठीक दिशा में जा रहा है, समाज भले ही अधोगति में जा रहा हो। देश और समाज बिल्कुल एक नहीं है बल्कि अलग अलग है। देश चलाने वालो ने समाज को गुलाम बना कर रखा है। जिससे मुक्ति हमारी पहली प्राथमिकता है। एक देश एक राष्ट्र एक जन जीवन एक मानापमान हमारी आवश्यकता नहीं है। समाज में ये सब भिन्न भिन्न विचार होते हैं। जिन्हे एक करने का प्रयास तानाशाही और गुलामी में ही संभव है। अतः देश की चिन्ता करने वाले बहुत हैं। समाज की चिन्ता करने वालो का अभाव है जिसे पूरा करना आवश्यक है। आज देश को विरक्त कार्यकर्ताओं की अपेक्षा विचारवान मार्ग दर्शकों की अधिक आवश्यकता है। सच्चाई यह है कि गलत मार्गदर्शन के प्रभाव से पिछले 67 वर्षों में गलत कार्यकर्ता खड़े हुए और शिक्षा के विस्तार न इन गलत कार्यकर्ताओं को मजबूत किया। आपने लिखा है कि तोता रटन्त से काम नहीं चलेगा इससे मैं सहमत हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपकी चिन्ता में मैं आपको निराश नहीं होने दूँगा। अच्छा हो कि आप भी निराशा का भाव छोड़कर लंका दहन में यथाशक्ति नल-नील-हनुमान या गिलहरी के रूप में स्वयं को शामिल करें।

(4)मुकेश कुमार ऋषि वर्मा, फतेहाबाद, आगरा, युपी, ज्ञानतत्व 3242

प्रश्न:— आज हमारे देश में (अपने देश में) नेताओं के सम्मान में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, जिससे आम आदमी बड़ी मुसीबतों का सामना करता है। जैसे नरेन्द्र मोदी के सम्मान के लिए बड़े-बड़े पोस्टर-बैनर-होल्डरों के माध्यम से सड़कों को इसलिए सजाया गया ताकि गरोब, मजदूरों की बस्तियाँ दिखाई न दें। “मलिन नागरिकों का देश है भारत और अमीरों का तो इंडिया है।” ऐसा मेरा विचार है। आपकी क्या राय है?

उत्तर:—जब भी कोई बाहर का व्यक्ति हमारे परिवार में मेहमान के रूप में आता है तब हम कुछ न कुछ अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं किन्तु यदि हमारी नीयत मेहमान से कुछ प्राप्त करने की होती है, तब हम अपनी गिरी हुई स्थिति को बताते हैं। मेरे विचार में भारत अब वैसी स्थिति में नहीं है कि हम अपने मेहमान के सामने अपनी गरीबी को प्रकट करें। मेरे विचार में वर्तमान समय में जो कुछ भी किया जा रहा है उसके गुण दोष की समीक्षा करना तो उचित है किन्तु आलोचना उचित नहीं, क्योंकि भारत और दुनिया के दूसरे विकसित देशों के बीच दूरी घट रही है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें अपने मेहमान के सामने मुकाबला दिखाना उचित नहीं, किन्तु बिना किसी उद्देश्य के भिखारी बने रहना भी ठीक नहीं। ऐसे अवसरों पर आम नागरिकों को कुछ कष्ट होना स्वाभाविक है जो परिस्थितिजन्य होने से हमें स्वीकार करना चाहिये।

(5)भगवान प्रसाद उपाध्याय, इलाहाबाद, उ.प्र. ज्ञानतत्व 3535

प्रश्न:—मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ इलाहाबाद की सदस्यता के लिए आमंत्रित करता हूँ आप 250 रुपये वार्षिक अथवा 3000 रुपये आजीवन सदस्यता शुल्क भेजकर इस संगठन से जुड़े।

उत्तर:—मैं न कोई साहित्यकार हूँ न ही पत्रकार। मैं एक विचारक हूँ और ज्ञानतत्व पाक्षिक एक वैचारिक पत्रिका है। मुझे वानप्रस्थी होने के बाद वैसे भी किसी संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए क्योंकि विचारक कभी किसी संगठन का सदस्य नहीं होता। विचारप्रधान संगठन का भी नहीं क्योंकि किसी संगठन का सदस्य होने के बाद उस संगठन के

अनुशासन को स्वीकार करना पड़ता है जिसका अर्थ है विचारक को स्वतंत्रता पर अंकुश। आप मुझे क्षमा करें। मैं ऐसी सदस्यता के लिए सशुल्क अथवा निःशुल्क आवेदन करने में असमर्थ हूँ।

(6) श्री आर के सक्सेना, पूर्व सदस्य, केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिव्यूनल, लखनऊ, यूपी

प्रश्न:—मुझे ज्ञानतत्व के अंक कई महिनों से नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं और मैं उनका अध्ययन भी करता रहता हूँ। मेरा आपसे पूर्व परिचय नहीं था, इसके बाद भी आपने मेरा नाम व पता प्राप्त कर लिया, यह एक सुखद आश्चर्य है। ज्ञानतत्व में प्रकाशित कुछ विचारों से मैं सहमत नहीं था और इस कारण मैंने कुछ भी लिखना उचित नहीं समझा क्योंकि एक न्यायाधीश को अनावश्यक रूप से आलोचना करने का अधिकार नहीं है। फलस्वरूप मैं चुप्पी साधे रहा परन्तु आपके पत्रों से प्रकट होता है कि मुझे अपने विचार व्यक्त करना चाहिए थे। इस दृष्टि से मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करने का साहस जुटा पा रहा हूँ।

समाज में उत्पन्न विकृति से सभी विचारक चिंतित हैं, और समाज का एक अंग होने के कारण मेरी चिंता भी निर्मूल नहीं है। उस चिंता की अभिव्यक्ति तथा समाधान से सम्भवतः आप तथा आपके अन्य पाठक सहमत न हो फिर भी मैं अपनी बात इस पत्र के माध्यम से आपके सम्मुख रख रहा हूँ। मेरा मानना है कि हमारे ऋषियों और मुनियों ने समाज में चार आश्रम—ब्रम्हचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व सन्यास बनाये थे, वे सार्वभौमिक व सर्वकालिक थे। आजकल उनका पालन नहीं हो रहा है और इसी कारण समाज में व विशेष रूप से राजनीतिक विकृति उत्पन्न हो गई है। ब्रम्हचर्य आश्रम में विद्याध्ययन करना तथा भविष्य का एक सफल व सबल नागरिक बनने की प्रेरणा थी। यह आश्रम 25 वर्ष का था, पर अब यह आयुसीमा अर्थहीन हो गई है। विद्याध्ययन में राजनीति प्रवेश कर गई है और इस कारण युवा भटक गया है। मेरी राय में युवाओं को 25 वर्ष तक अध्ययन करने के अतिरिक्त और किसी धंधे में नहीं पड़ना चाहिए। मताधिकार की आयु भी 25 वर्ष से ही प्रारंभ होना चाहिए।

गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष का होता है। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों की शुद्धता का स्तम्भ होता है। इस आश्रम में नैतिक रूप से धनोपाजन करना चाहिए तथा परिवार का भरण पोषण करके बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाना चाहिये। गृहस्थों को मताधिकार तो रहे पर निर्वाचन लड़ने का अधिकार न हो। इस प्रकार समाज भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है।

वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष का होता है। इस दौरान नागरिक मताधिकार के साथ निर्वाचन के मैदान में कूद सकता है पर निर्वाचन मैदान में आने के पूर्व यह बतलाना पड़ेगा कि वह गृहस्थ आश्रम के दायित्वों से मुक्त हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि उसकी संतान स्वावलम्बी बन गई है और उसे संतान के भविष्य के लिए धन-अर्जित करने की न तो चिंता करना है और न ही आवश्यकता है।

सन्यास आश्रम 75 वर्ष की आयु से जीवन पर्यन्त का होता है। इस दौरान व्यक्ति को मताधिकार तो रहे पर निर्वाचन मैदान में कूदने पर प्रतिबंध रहें। उसे पूरी तरह से निरपेक्ष रूप से समाज सेवी हो जाना चाहिए। मेरी राय में ऐसी व्यवस्था से समाज तथा राजनीति शुचिता की प्रतीक होगी। सम्भव है कि आप मेरी राय से सहमत न हो परन्तु फिर भी मैंने अपनी बात रखने की धृष्टता की है।

उत्तर:—आपने उम्र को उस आधार पर बाँटा है जब पूरी उम्र सौ वर्ष थी। वर्तमान समय में पचासी मानी जा रही है। वर्तमान भौतिक युग में क्या यह उचित होगा कि साढ़े ब्यालिस वर्ष की उम्र में ही गृहस्थ वानप्रस्थ ले ले। मैं स्वयं सत्तर वर्ष में वानप्रस्थ लिया हूँ। राजनीति में चुनाव लड़ने के लिये उम्र का नियम बन सकता है।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह आश्रम व्यवस्था स्वैच्छिक होगी या अनिवार्य? यदि कोई न माने तो क्या वह दण्डित होगा? हिन्दुओं को छोड़कर अन्य धर्म वालों का क्या होगा? ये अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर खोजने के बाद ही यह बात आगे बढ़ सकती है। वैसे कुल मिलाकर आपका सुझाव विचार योग्य है।

आलोचना और समीक्षा में फर्क होता है। आप भले ही आलोचना न करें किन्तु समीक्षा तो आपको करनी ही चाहिये। न्यायाधीश जीवन भर समीक्षा ही तो करता है। आप ज्ञान तत्व पढ़ते हैं और मेरी कुछ बातों से असहमत भी हैं तो आपको वह असहमति का आधार बताना ही चाहिये था और यदि अब तक नहीं बताया है तो अब बताइये जिससे या तो मैं आपको सहमत कर सकूँ अथवा आप मुझे सहमत कर सकें अथवा कम से कम देश भर के हजारों पाठकों को तो इस समीक्षा का लाभ मिले।

(7) श्री अमर सिंह आर्य, जयपुर, राजस्थान

प्रश्न:—ज्ञानतत्व के अंक 303 में न्यायाधीशों द्वारा श्रम व कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि पर उठाये प्रश्नों के आप द्वारा दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में :—

(1) सन् 1947 से कृषि मूल्य लगातार घटते गये। गेहूँ का मूल्य तैंतीस पैसे प्रतिकिलो जो घटकर सत्रह पैसे प्रति किलो हो गया।

(2) दाल पर डेढ़ से दो रुपया खाद्य तेलों पर आठ रुपये प्रति किलो टैक्स है।

(3) 1947 में श्रम मूल्य एक रुपया था आज श्रममूल्य एक रुपया अस्सी पैसा हो गया।

1947 में रुपये का मूल्य क्या था आज क्या रह गया? उपरोक्त कथन सही होते हुए भी बिना प्रमाण के विश्वास करना किसी को समझाना कठिन हो जाता है। इन तथ्यों की सर्वे अथवा अध्ययन रिपोर्ट है तो कृपया भिजवाने की कृपा करें।

उत्तर:— सरकारी रेकार्ड में सन् सैंतालिस से लेकर अब तक मुद्रा स्फीति करीब नब्बे गुनी बढ़ी है। इसका अर्थ यह हुआ कि सन सैंतालिस में किसी वस्तु का मूल्य एक रुपया था और आज नब्बे रुपया है तो वह वस्तु न महंगी हुई है न

सस्ती। एक वर्ष के बाद यदि मुद्रा स्फीति पाँच प्रतिशत रही तो उस वस्तु का स्वाभाविक मूल्य साढ़े चौरानवे रुपया तथा दो सवा दो वर्ष के बाद सौ रुपया हो जयेगा। यह औसत पूरे भारत का है। गेहूँ का मूल्य सन सैंतालिस में सरकारी रेकार्ड के अनुसार तैतीस पैसे करीब था। 33 का नब्बे गुना करने पर 2970 होता है। इस समय गेहूँ भी सस्ता होकर आधे मूल्य का रह गया है। उस समय एक मजदूर को हमारे इलाके में एक रुपया देते थे। संभवतः दिल्ली हरियाणा में दो रुपया रहा होगा। आज हमारे इलाके में नब्बे रुपया होना चाहिये परन्तु एक सौ साठ रुपया है। नब्बे की जगह एक सौ साठ मजदूरी वृद्धि है और एक का नब्बे मुद्रा स्फीति। मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति अलग अलग होते हैं। जिसे एक करके महगाई का रोग रोया जाता है। जबकि महगाई वास्तव में होती ही नहीं है। वैसे भी पुराने समय में हम मजदूर को डेढ़ किलो अनाज प्रतिदिन देते थे जो आज बढ़कर करीब आठ किलो हो गया है। स्पष्ट है कि कुछ मजदूरी बढ़ी और कुछ अनाज सस्ता हुआ। दाल और खाद्य तेल पर विक्री कर, प्रवेश कर, उत्पादन कर या वैट मिलाकर मेरे लिखे से ज्यादा ही है। यदि किसी कथन को चुनौती देंगे तो मैं विस्तृत विवरण इकट्ठा करके भेज दूँगा। आपको इसमें से किस बात का प्रमाण चाहिये। सन 47 में रुपया चांदी का था यह आप भी जानते हैं। सन 47 में आपके राजस्थान में एक मजदूर को कितना अनाज दिया जाता था और आज कितना दिया जाता है यह आप जान सकते हैं। वर्तमान में राजस्थान में दाल और तेल पर कितना टैक्स है यह आप पता लगा सकते हैं। सारे प्रमाण आपके पास स्वयं हैं। यदि कोई और प्रमाण बच जाये तो बताइयेगा।

(8)श्री शिवदत्त जी बाघा,बांदा,उत्तर प्रदेश

प्रश्न:—पागल व्यक्ति अपनी पहचान तक से बेखबर होता है। जिधर चल दे वही उसकी राह। उसके सारे कियाकलाप निरोद्देश्य ही होते हैं। भारत के लोगो के इस स्थिति तक पहुँचाने के लिए 800—900 वर्षों तक लगातार विदेशियों द्वारा प्रयोग चलते रहे। नतीजा देश आज अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है।

दूसरा संकट है चरित्र का। कहावत है धन गया समझो कुछ भी नहीं गया,स्वास्थ्य गया समझो कुछ गया और चरित्र गया समझो सब कुछ गया। यानी सब कुछ खो दिये। आधुनिक बनने कहलाने की आकांक्षा ने देश को दूसरे के विचारों का कूड़ा—करकट ढोने की प्रतिस्पर्धा में झोक कर अपना चरित्र गवाने के लिए मजबूर किया है। रुढिवादी दकियानूसी कहलाने से बचने के लिए हम वही कर रहे हैं जो दुनिया कर रही हैं। जानवरों जैसा खुले योनि व्यवहार का समर्थन, किस आफ लव के आयोजन, समलैंगिता,पारिवारिक सामाजिक भावों से मुक्तता आधुनिकता खुलेपन के मापदण्ड बन गए हैं। प्राणी जगत में मनुष्य नाम का प्राणी सब से घटिया जीव है। मनुष्य के अलावा जल,नभ,थल में वास करने वाले विचरण करने वाले सभी प्राणी जीव आजाद हैं और स्वानुशासित भी। किन्तु मनुष्य नाम के प्राणी को भारी नियंत्रण की जरूरत है,किसी व्यवस्था की जरूरत है। तथा इस व्यवस्था संचालन के लिए एक बाडी की जरूरत है तथा इस बाडी के लिए एक संविधान ,नियम कायदों कानूनों की जरूरत है, फौज ,पुलिस,जेल,अदालत की जरूरत है। इस सब के होते हुए भी मनुष्य अशान्त है हिंसा व अपराध और नाना प्रकार की समस्याओं से वेजार है। मनुष्य की शांति की खोज अधूरी हैं। इसी शांति की खोज और जीवन में उसे पाने की ललक ने अनेक व्यवस्थाओं वादों विवादों ,पंथों को जन्म दे डाला पर हाथ उसके कुछ नहीं आया। उल्टे आदमी आदमी को तो सताता ही है वह अन्य जीवों को भी सताता है। मतलब आदमी का चेहरा लिए वह शैतान ही बन गया है। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि अन्य प्राणी जगत के प्राणियों के समाज की भांति उसके अपने समाज के डी एन ए में सहज स्वतंत्रता व स्वनुशासन की प्रवृत्ति का अभाव है। वह वन्दिशों में जीने का सहज रूप से आदी है और यह प्रवृत्ति ही उसे अपने लिए अनेक जाल बुनने के लिए वाध्य करती है। इन जालों में उलझा हुआ उसे जीवन के रहस्यों का कुछ पता ही नहीं कब आया कब गया।

उत्तर:— मैं आपके लिखने का आशय नहीं समझा कि आप देश के मानव जाति के चरित्र की व्याख्या कर रहें हैं या सम्पूर्ण मानव जाति के चरित्र की। यदि दुनिया में मनुष्य सबसे अधिक पतित है तो उसे ठीक करने का जिम्मा किस प्राणी को दिया जाय? मैं भी नहीं समझ सका कि मनुष्य के अलावा कौन कौन स जीव स्वतंत्र तथा स्वअनुशासित हैं? मेरे विचार में अशान्त,हिंसाग्रस्त,क्रूर,शैतान सरीखे लोगों की संख्या दो तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं जिन्हें नियंत्रित करने के लिये फौज पुलिस या कानून की जरूरत है। आपको इतना निराशावादी नहीं होना चाहिये।

सम्पूर्ण विश्व का यदि सर्वेक्षण करें तो कुल मिलाकर एक प्रतिशत आबादी ही अपराधी मिलेगी। अच्छे लोगों का प्रतिशत तीन से पाँच तक हो सकता है। शेष पंचान्नवे प्रतिशत लोग परिस्थिति अनुसार अच्छे या बुरे होते हैं। भारत में भी यह प्रतिशत लगभग वैसा ही है। इन पंचान्नवे प्रतिशत बीच के लोगों का अच्छा या बुरा होना हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। हम अच्छे लोग उन्हें बुरा कहकर उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं तथा अपमानित करते हैं जबकि बुरे लोग उनसे तालमेल बनाकर रखते हैं। बताइये कि ये बीच के लोग किनके साथ जुड़े?मेरे विचार में समाज में बुरे लोगों का प्रतिशत बढ़ाने में अप्रत्यक्ष रूप से अच्छे लोगों का व्यवहार ही है।

9 रविन्द्र सिंह तोमर, गुना M0प्र0 41072

प्रश्न— आचार्य कुल मासिक पत्रिका मे प्रसिद्ध विचारक टालस्टाय का एक विचार छपा है। जो मैं आपको भेज रहा हूँ। आप पढ़कर अपनी टिप्पणी दे। विचार इस प्रकार है।

गुलामी की जड़ कानून है, कानूनों को बनाने वाली सरकारें हैं। अतः केवल सरकारों का नष्ट करने से ही लोग इस गुलामी से मुक्त किये जा सकते हैं। अब तक हिंसा द्वारा सरकारों को नष्ट करने के लिये जितने प्रयोग और प्रयत्न किये उनका यही फल हुआ कि पदच्युत सरकारों के स्थान पर पहले से भी अधिक भीषण सरकारें स्थापित हो गई हैं। अतः हिंसा के बल पर हिंसा का उच्चाटन न तो कभी भूतकाल में हुआ है, न भविष्य में कभी हो सकता है। अपनी इच्छा के प्रतिकूल दूसरे की मनमानी करने की अनिवार्य अवस्था का ही नाम गुलामी है।

अतः यदि संसार से हमें गुलामी नष्ट करनी है तो इसका उपाय हमें नवीन प्रकार की हिंसा की स्थापना में नहीं मिल सकता। इसके लिये तो उन कारणों को हमें सबसे पहले नष्ट करना चाहिये जो सरकारी हिंसा के लिये अनुकूलताएं उत्पन्न कर देते हैं। सरकारें जो हिंसा कर सकती हैं अथवा अन्य अल्पसंख्यक लोग भी जो अधिक लोगों पर हिंसा अथवा बल प्रयोग कर सकते हैं उसका कारण यही है कि वे थोड़े से लोग पूरी तरह सशस्त्र हैं और ये बहुसंख्यक लोग या तो बिल्कुल निःशस्त्र हैं या उनके पास बहुत थोड़े शस्त्र हैं।

देश और जातियां प्रत्यक्ष हिंसा द्वारा नहीं, कपट व्यवहार से जीती जा रही हैं। इसलिये इस हिंसा को रोकने के लिये अब हमें उस कपट की कलाई खोल देनी चाहिये जो थोड़े से सशस्त्र लोगों द्वारा अधिकांश लोगों पर हिंसा का आतंक जमाये रखने में सहायता करती है। ये थोड़े से लोग बहुसंख्यक लोगों से कहते हैं कि आप संख्या में ज्यादा हैं पर आप अक्षम, अयोग्य और अशिक्षित हैं। आप न तो अपना शासन कर सकते हैं और न कोई समाजोपयोगी कार्य करने की योग्यता रखते हैं इसलिये इन सब चिन्ताओं का भार हम लोग अपने सिर पर ले लेते हैं। हम आपको विदेशी शत्रुओं से भी बचायेंगे और देश की भीतरी शासन व्यवस्था भी संभाल लेंगे। न्याय के लिये अदालतें खोल देंगे, उनका आपकी तरफ से काम काज भी हम चला लेंगे। आपकी सार्वजनिक संस्थाएं पाठशालायें सड़कें और डाक वगैरह की देखभाल भी

हम ही कर लेंगे । आपके फायदे की जितनी भी चीजे हं, हम सब उसका संचालन आपके लिये करते रहेंगे । इसके बदले में आपको कुछ छोटी मोटी मांगें पूरी करनी होंगी ।

एक तो आपको अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा इन सब बातों के खर्च के लिये पूर्णतया हमारे अधिकार में दे देना होगा । और दूसरे आपमें से कुछ लोगों को सेना में काम करना होगा, जो आपको अपनी रक्षा के लिये अत्यंत आवश्यक है और अधिकांश लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं । पर सरकारों के हाथों में पैसा और सिपाही आये नहीं और वे अपने वचनों का भुली नहीं । प्रजाजनों की रक्षा और कल्याण का विचार छोड़ वे पड़ोसी राष्ट्रों को सताने का मौका ढूँढकर कोई लडाईं सुलगाने की ताक में बैठी रहती है । प्रजा के सच्चे कल्याण की बात तो दूर रही, वे उसे उल्टा बरबाद और पतित करती हैं । भले ही सरकारें अपनी स्थिति को मजबूत बनाये रखने के लिये लोगों की बुद्धि में भ्रम डालती रहें । अब उनकी भक्ति और आदर का जमाना तेजी से बीत रहा है । लोगों को अब यह जान लेने का समय आ गया है कि सरकारें न केवल अनावश्यक हैं बल्कि हानिकारक और अत्यंत अनीति युक्त संस्थाएँ हैं, जिनकी करतूतों में एक प्रामाणिक और स्वाभिमानी मनुष्य कभी भाग नहीं ले सकता और न उसे उठाना ही चाहिये । ज्योंही लोग इस कथन की यथार्थता समझ लेंगे त्योंही स्वभावतः ऐसे कार्यों में भाग लेना बंद कर देंगे । केवल जनता के अधिकांश हिस्से ने उन्हें सहायता देना बंद किया तो समझिये कि वह धोखेबाजी जो लोगों को गुलाम बनाये हुए है स्वतः नष्ट हो जायेगी ।

उत्तर:—अब तक मैं ऐसा समझता था कि मैंने जो कुछ सोचा है वह बिल्कुल नया है । विशेषकर राजनीति के मामलों में किन्तु जब मैंने गाँधी को पढ़ा तो मेरा भ्रम टूट गया, और जब आपने टॉलस्टॉय के विचार लिखे तो मुझे लगा कि यह बात जो मैं आज राजनीति के विषय में कह रहा हूँ, वह बात सैकड़ों वर्ष पहले टॉलस्टॉय सरीखे विचारक ने कह रखी है । गाँधी से भी पहले । यह अलग बात है कि मैंने पहले न टॉलस्टॉय को पढ़ा, न गाँधी को । यदि मैं पहले ही इन दोनों को पढ़ लिया होता तो मेरे कई वर्ष चिंतन में और प्रयोग में बर्बाद नहीं होते । फिर भी टॉलस्टॉय ने आदर्श राजनीति का जो खाका खींचा है उसमें यह नहीं बताया कि तत्कालीन परिस्थितियों में सामान्य लोग क्या करें । इस सम्बंध में गाँधी ने कुछ अधिक स्पष्ट किया है । जयप्रकाश ने और आगे बढ़ाया है । अन्ना हजारे ने कुछ और आगे बढ़ाया है । तथा मैं कुछ और आगे बढ़ा रहा हूँ । जब तक संसद के आधिपत्य से निकलकर संविधान समाज के नियंत्रण में नहीं आ जाता, तब तक सारे कसरत समाज सेवा तक ही सीमित है, व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में नहीं बढ़ सकती । हमें यह याद रखना चाहिए कि वर्तमान समय में संसद ही शासक है तथा तथाकथित शासक संविधान के अर्न्तगत ही कार्य करते हैं । उन लोगों ने बड़ी चलाकी से संविधान को अपने नियंत्रण में कर लिया और सिर्फ संविधान के नियंत्रण में होने से समाज की सारी स्वतंत्रता तथाकथित शासकों के नियंत्रण में आ गयी । अब हमारे तथाकथित शासक पूरा जोर लगाकर संविधान को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं । भारत ही नहीं बल्कि अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी कुछ-कुछ यही स्थिति है । भले ही वहाँ संविधान संशोधन के लिए भारत की अपेक्षा कुछ अधिक अच्छे प्रावधान हों । संविधान संशोधन के संसद के असीम अधिकारों में कोई कटौती भारत का कोई भी राजनेता स्वीकार नहीं करने देगा । चाहे वह किसी भी राजनैतिक दल का क्यों न हो । यहाँ तक कि मैंने एक बार अरविंद केजरीवाल, जो स्वराज्य की बात करते हैं, उनसे भी यह बात कही थी और उन्होंने भी यह स्पष्ट कहा था कि यह बात न उचित है न सम्भव । मैं समझ गया कि सारे राजनेता एक ही विरादरी के हैं । चाहे भले ही वे जाति या धर्म या अन्य अलग अलग झण्डों के आधार पर अपना अलग अस्तित्व क्यों न बताते हों । यही कारण है कि व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी ने सबसे ज्यादा जोर परिवार, गाँव, जिले को संवैधानिक अधिकार देने तथा लोकसंसद की माँग तक सीमित रखा है । यह लोकसंसद की माँग एक मात्र ऐसी माँग है जो राजनेताओं की संविधान को गुलाम बनाकर रखने की निर्णायक शक्ति में से आधी शक्ति समाज को हस्तांतरित कर देगी । मेरा विचार है कि हमें पूरी शक्ति लोकसंसद की माँग पूरी करने या कराने पर लगा देनी चाहिए । अन्य कोई भी माँग चाहे वह अन्ना हजारे ही क्यों न उठा रहे हो, सत्ता को सशक्त करेगी, क्योंकि शासन में सुधार सत्ता को मजबूत करेगा । सच बात यह है कि जब गुलाम स्वतंत्रता से बिल्कुल निराश हो जाता है, तब गुलामी में ही कुछ सुधार की आशा करने लगता है । जब हम मुट्ठी भर मुसलमानों के गुलाम थे तो हममें से अनेक लोगों ने गुलाम बनाने वाले मुस्लिम शासकों से समझौते किये थे । जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब भी हममें से अनेक लोगों ने अंग्रेज शासकों के साथ समझौते करके अनेक लाभ प्राप्त किये । यहाँ तक कि संघ के संस्थापक डॉ० हेडगेवर ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध कोई आवाज बुलंद न करके मुस्लिम शासकों के खिलाफ बुलंद की । जबकि वे भी जानते थे कि मुस्लिम शासक भारत से बिदा हो चुके हैं और उनके अवशेष ही भारत में बचे हैं । सम्भवतः डॉ० हेडगेवर को यह अन्दाज था कि भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र नहीं हो पायेगा तथा समाज में मुस्लिम समुदाय आज भी इसाइयों की अपेक्षा अधिक खतरनाक है । यह बात सच भी है किन्तु सच होते हुए भी यह बात न हमारे लिए प्राथमिक है न उस समय हेडगेवर के लिये प्राथमिक थी, क्योंकि भारत इस्लामिक गुलामी से मुक्त होकर अंग्रेजों की गुलामी में जा चुका था । फिर भी हम इतिहास के पुराने पृष्ठों को छोड़ते हुए यदि आज पर विचार करें तो सभी राजनेता चाहे वे गाँधीवादी हों, अथवा हेडगेवर को मानने वाले, सभी संविधान संशोधन के अधिकारों में समाज का कोई भी हस्तक्षेप आधिकारिक रूप से देने के लिए सहमत नहीं होंगे । जब स्वराज्य की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ही सहमत नहीं हैं, तो मैं अन्य किसी से क्या अपेक्षा करूँ । इसलिए सब समाज सुधारकों राजनेताओं से निराश होकर ही मैंने यह शुरुवात की है ।

टालस्टॉय 150 वर्ष पहले रूस के एक अच्छे विचारक हुए हैं जिन्होंने उस समय ये महत्वपूर्ण विचार दिये । मुझे खुशी है कि रविन्द्र भाई ने टालस्टॉय का यह विचार मुझे भेजकर मेरा ज्ञान बढ़ाया है । टालस्टॉय की नीचे लिखी अंग्रेजी में लिखी दो पंक्तियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

The truth is that the State is a conspiracy designed not only to exploit, but above all to corrupt its citizens